सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस
दिनांक 19.09.2024

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना सिरसाकलार पुलिस टीम द्वारा पुलिस इन्ट्री के नाम से रंगदारी मांगने वाले शातिर अभियुक्त महेश यादव को अवैध असलाह व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 18.09.2024को श्री सतीश कुमार पुत्र साधूराम निवासी ग्राम जलालपुर चिरगुवां थाना चुर्खी जनपद जालौन द्वारा थाना सिरसाकलार में लिखित दी गयी कि मेरा ड्राईवर ट्रक में मौरम लादकर उसे खाली करने ग्राम दमरास थाना सिरसाकलार आया हुआ था । वहाँ पर पहले से मौजूद महेश पुत्र लाखन निवासी ग्राम खरका थाना कुठौन्द ने ट्रक रोककर धमकाते हुये पुलिस इन्ट्री के नाम पर रूपयों की मांग की गयी । जिसके संबन्ध में थाना सिरसाकलार पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना सिरसाकलार पर मु0अ0सं0 145/24 धारा 308(2) BNS पंजीकृत किया गया है । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम को लगाया गया था । मुखबिर की सूचना के आधार पर आज दिनाकं 19.09.2024 को थाना सिरसाकलार पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र मे कालपी मदारीपुर मार्ग पर कोडा किर्राही जाने वाले मोड के पास से शातिर अभियुक्त महेश यादव पुत्र लाखन यादव निवासी ग्राम खरका थाना कुठौन्द जनपद जालौन को एक अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

महेश यादव पुत्र लाखन यादव निवासी ग्राम खरका थाना कुठौन्द जनपद जालौन उम्र करीब 32 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

एक अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 145/2024 धारा 308(2) बीएनएस थाना सिरसाकलार जनपद जालौन।

2.मु0अ0स0 146/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिरसाकलार जनपद जालौन।

पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना सिरसाकलार, मय पुलिस टीम जनपद जालौन।